

## वदिशी अंशदान से संबंधित नयिमों में परिवर्तन

### प्रलिस के लयि

वदिशी अंशदान (वनियिमन) अधनियिम, 2010

### मेन्स के लयि

वदिशी अंशदान के वनियिमन की आवश्यकता, नयिमों में कयि गए परिवर्तन और उनकी आलोचना

## चर्चा में क्योँ?

गृह मंत्रालय ने वदिशी अंशदान से संबंधित नयिमों को और कठोर बनाने के उद्देश्य से वदिशी अंशदान (वनियिमन) अधनियिम, 2010 के तहत नए नयिम अधिसूचित कयि हैं।

## प्रमुख बदि

### ■ नए नयिम

- गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए नयिमों के अनुसार, कसि भी संगठन के लयि वदिशी अंशदान (वनियिमन) अधनियिम (FCRA) के तहत स्वयं को पंजीकृत कराने हेतु कम-से-कम तीन वर्ष के लयि अस्तित्व में होना आवश्यक है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि उस संगठन ने समाज के लाभ के लयि गत तीन वर्षों के दौरान अपनी मुख्य गतिविधियों पर न्यूनतम 15 लाख रुपए खर्च कयि हों।
  - हालाँकि असाधारण मामलों में केंद्र सरकार को कसि संगठन को इन शर्तों से छूट देने का अधिकार है।
- वदिशी अंशदान (वनियिमन) अधनियिम (FCRA) के तहत पंजीकरण कराने वाले संगठनों के पदाधिकारियों को वदिशी योगदान की राशि और जसि उद्देश्य हेतु वह राशि दी गई है, के लयि दानकर्त्ता से एक वशिष्ट प्रतबिधता पत्र जमा कराना होगा।
- यद भारतीय प्राप्तकर्त्ता संगठन और वदिशी दानकर्त्ता संगठन में कार्यरत लोग एक ही हैं तो भारतीय संस्था को अंशदान प्राप्त करने के लयि पूर्व अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब-
  - प्राप्तकर्त्ता संगठन का मुख्य अधिकारी दानकर्त्ता संगठन का हसिसा नहीं है।
  - प्राप्तकर्त्ता संगठन के पदाधिकारी अथवा शासी नकिय के सदस्यों में से 75 प्रतिशत लोग वदिशी दाता संगठन के सदस्य या कर्मचारी नहीं हैं।
- यद वदिशी दानकर्त्ता एकल व्यक्ति है तो यह आवश्यक है कि-
  - वह व्यक्ति प्राप्तकर्त्ता संगठन का पदाधिकारी न हो।
  - प्राप्तकर्त्ता संगठन के पदाधिकारी अथवा शासी नकिय के सदस्यों में से 75 प्रतिशत लोग वदिशी दानकर्त्ता के रशितेदार न हों।
- वदिशी अंशदान (वनियिमन) अधनियिम (FCRA) के तहत पंजीकरण के लयि आवेदन शुल्क 3,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दयि गया है।
- इसके अलावा संशोधन के माध्यम से FCRA नयिम, 2011 में एक नया खंड शामिल कयि गया है, जसमें कहा गया है कि नयिम के खंड V और VI में उल्लिखित समूह यद कसि भी तरह से सक्रिय राजनीति में भाग लेते हैं तो उन्हें केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक समूह माना जाएगा।
  - राजनीतिक संगठनों अथवा 'सक्रिय राजनीति' में हसिसा लेने वाले संगठनों पर वदिशी अंशदान प्राप्त करने से रोक लगाई गई है।

ध्यातव्य है कि FCRA नयिम, 2011 के नयिम 3 के खंड V और खंड VI कसिनो, शर्मिकों, छात्रों, युवाओं तथा जाति, समुदाय, धर्म अथवा भाषा के आधार पर बनने वाले ऐसे संगठनों से संबंधित है, जो प्रत्यक्ष तौर पर कसि भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं, कति वे अपनी गतिविधियों के माध्यम से अपने हतों को बढ़ावा दे रहे हैं और साथ ही ऐसे समूह भी जो अपने हति के लयि राजनीतिक गतिविधियों जैसे कि बंद, हड़ताल और रास्ता रोक आदि में संलग्न होते हैं।

## प्रभाव

- सरकार के इस नरिणय से गैर-सरकारी संगठनों के लयि वदिशों से अंशदान प्रापूत करना और भी चुनौतीपूरण हो जाएगा ।
- ध्यातव्य है कि इससे पूरव सतिंबर माह में जब संसद ने [वदिशी अंशदान वनियिडन \(संशोधन\) वधिडक, 2020](#) पारति कयि था, तब न्यायवदिों के अंतर्राष्टरीय आडडग (ICJ) सडेत कई अंतर्राष्टरीय डानवाधकिर संगठनों ने सरकार के इस कडड की आलूचना की थी ।
- कई आलूचक डानते हैं कि सरकार ड्वारा इन संशोधनों का डपडडग ऐसे संगठनों के वरिडूध कारुडवाही करने के लयि कयि जा रहा है, डु सरकारी के वरिडूध डुल रहे हैं ।

## वदिशी अंशदान (वनिडडडन) अधनडडडड, 2010 में संशोधन

- संशोधन के डधुडड से गैर-सरकारी संगठन (NGOs) डा वदिशी डुगडान प्रापूत करने वले लूगों और संगठनों के सडी पडधकिरडडों, नदिशकों एवं अनुड डरडुख अधकिरडडों के लयि आधर (Aadhaar) कु एक अनवरुड पहचान डसूतावेडु डना डडि डया था ।
- संशोधन के डड कोई भी वुडकूत, संगठन डा रजसूडरूड कडनी वदिशी अंशदान प्रापूत करने के पशूचातू कसूी अनुड संगठन कु उस वदिशी डुगडान का डरंसडर नहीं कर सकूी है ।
- वदिशी अंशदान केवल सूडेट डैंक ऑफ इंडुडि (SBI), नई डलूली की उस शाखु में ही प्रापूत कयि डुगुगा, जसूि केंडर सरकारी अधसूचति करेगी ।
- अब कोई भी गैर-सरकारी संगठन (NGO) वदिशी अंशदान की 20 डरतशित से अधकि रशुकि इसूतेडल डरशासनकि खरूच डर नहीं कर सकूता है ।
- ध्यातव्य है कि सरकारी ड्वारा कयि डुग इन संशोधनों की रशूडरीय तथु अंतर्राष्टरीय सूतर डर कडुी आलूचना की गई थी ।

## डूषूठडुडड

- वदिशी अंशदान कु नडडंतरति करने के उडूडेशुड से वदिशी अंशदान (वनिडडडन) अधनडडडड कु सरुवडूरथड वरूष 1976 में अधनडडडडड कयि डुगु, जसूिके डड वरूष 2010 में वदिशी अंशदान कु नडडंतरति करने से संबंधति नए डुडडु अधनडडु डुगु और वदिशी अंशदान (वनिडडडन) अधनडडडड कु संशुधति कयि डुगु ।
  - इस अधनडडडडड का डुराथडडड उडूडेशुड डड सुनशूचति करना है कि अंशदान के कारण डररत की आंतरकि सुरकुषु डर कुडूी डुरतकूल डुरडडव न डुडे ।
- डड अधनडडडडड उन सडी संघु, सडूहूँ और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) डर लडूु हुुतु है कु कसूी भी उडूडेशुड के लयि वदिशु से अनुडान प्रापूत करते हैं ।
- इस अधनडडडडड के तहत वधुडडडडड और रजनीतकि डलु के सदसुड, सरकारी अधकिरडड, नुडडडडडडड तथु डीडडडडडडड आडड कु कसूी भी डुरकार के वदिशी अंशदान प्रापूत करने से डुरतडडडडडडड कयि डुगु है ।

## सूरुत: ड हडू

PDF Referenece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/home-ministry-amends-fcra-rules>